

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I will raise my pointed question based on (b) and (c). Part (b) says that for the MDG *i.e.* Millennium Development Goal, the requirement is average annual rate of reduction has to be 7.6 per cent from 2007—2015. I would like to know whether it has been achieved. If not, how do we overcome this less achievement in future years. What is the programme of the Government? Similarly, to achieve full MDG, the recommendation by UNICEF report highlights many programmes. It is from 1 to 7. By when will these programmes be really achieved? What steps are being taken by different departments?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the MDG goals have come under heads. The different areas of growth and development that we look at under the MDG, most of the goals, are well on track and we are heading towards achieving them. The two areas that we are lagging behind is the infant mortality and the maternal mortality and the underfive mortality that we are looking at and as you will appreciate, we have taken interest like never before to ensure that we achieve our goal targets. And, how much time, is something which means we have to be effective in implementing it, not just say it like that. We have been working towards converging all our activities and the Department has developed a new focus to be able to give specific thrust on these areas and a slew of legislations for which we have taken interventions and amended like the Prohibition of Child Marriage Act etc. All of these have been put into place. I am confident that in the very near future, this will gather enough momentum for it to carry forward and India will stand tall and equal to the other nations in our MDG development.

प्रदेश के मानदण्डों की अवहेलना

*145. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के प्रवेश के मानदण्डों में के जा रही अवहेलना की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्कूलों के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के क्षेत्राधिकार में है और यह उस पर निर्भर करता है कि वे दाखिला नीति का मॉनीटरन करें। प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हेतु मानदण्डों के उल्लंघन संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। वर्तमान दाखिला सत्र के दौरान दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के द्वारा पूर्व-प्राथमिक/पूर्व-स्कूल स्तर पर प्रवेश के मानदण्डों की अवहेलना के संबंध में सिर्फ एक शिकायत प्राप्त हुई, परन्तु जांच के उपरान्त यह शिकायत वास्तविक नहीं पाई गई। पूर्व-प्राथमिक तथा पूर्व-स्कूलों में प्रवेश के संबंध में शिकायतों पर ध्यान देने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में मॉनीटरन इकाई का गठन किया गया है।

Violation of admission norms

†*145. **SHRI UDAY PRATAP SINGH:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

†Original notice of the question was received in Hindi.

(a) whether Government's attention has been drawn towards the violation of norms for admission of children, by the private schools; and

(b) if so, the names of the schools against which complaints of irregularities have been received and the action being taken against those schools?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) Education being a concurrent subject, school education is primarily within the purview of the State/UT Governments and it is for them to monitor the admission policy. Information on violation of norms for admission in private schools is not centrally maintained. Only one complaint was received during the current admission session by the Directorate of Education of Delhi Administration regarding violation of norms in admission at pre-primary/pre-school level, but on enquiry, the complaint was found to be without substance. Monitoring Cells have been constituted in all districts of Delhi to look into complaints regarding pre-primary and pre-school admissions.

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय सभापति जी, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको सर्वाधिक प्राथमिकता इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उन लोगों से या उन बच्चों से जुड़ा हुआ है, जो भारत के भविष्य निर्माता हैं, यह प्रश्न उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है।

महोदय, हो यह रहा है कि सरकार ने यह कह दिया है कि यह समवर्ती सूची है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, फातमी साहब, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन सरकार की ओर से प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है और यह कहा गया है कि चूंकि यह समवर्ती सूची में है इसलिए प्रवेश में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो पारदर्शिता नहीं हैं और जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने लिखा है कि आपको कोई सूचना नहीं है कि ऐसी कोई शिकायत आई है। हम एम्पली लोग जानते हैं कि रोज़ हमारे पास जो शिकायतें आती हैं, उनमें से कुछ का बयान मैं आपसे कर दूँ कि जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, जो किसी धर्म विशेष की हैं, वे अपने धर्म को 40 नंबर देती हैं, फिर अगर उसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, तो उसको 20 नंबर देती हैं, अगर उसके मां-बाप वहां पढ़े हैं, तो कुछ नंबर मिलते हैं, वह sibling कहलाता है, alumni कहलाता है, फिर अगर business class का है, तो अलग criteria है, अगर उसके मां-बाप को अंग्रेजी नहीं आती है, तो अलग criteria है। एक तरफ आप सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं और हो यह रहा है कि शिक्षा की वजह से गांवों से शहरों की तरफ भगदड़ मची हुई है, फिर भी पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए यह कहकर कि ये समवर्ती सूची का मामला है, हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। मेरा सरकार से पूछना है कि क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से मिलकर कोई ऐसी प्रक्रिया या ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी कि इन admissions में कुछ पारदर्शिता लाई जा सके? इन admissions में अभी कोई पारदर्शिता नहीं है, किसी भी आधार पर कह दिया कि admission नहीं देंगे और उसमें भ्रष्टाचार भी है। इसलिए यह गंभीर मुद्दा है और यह हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि जहां अवतार जन्मे हैं ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लें (व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह: मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि....

“जहां अवतार जन्मे हैं पले है।

वीर ऋषि योगी।

कोई यह न समझ बैठे,

कि अब यह भूमि परती है।

यहां का हर नया अंकुर,
अगर पाला गया ढंग से।
नमूना बनकर जाएगा कि,
उपजाऊ यह धरती है।"

तो क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का admission हो जाए? मां-बाप की परीक्षा ली जाती है कि आपको कितनी अंग्रेजी आती है, तब हम admission देंगे, क्या आप इसको न्यायोचित मानते हैं, यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति जी, जैसा कि जवाब में हमने बताया है कि यह Concurrent subject है और हिंदुस्तान के अंदर करीब 11 लाख प्राइमरी तथा मिडल स्कूल हैं और तकरीबन डेढ़ लाख हाई स्कूल हैं। इतने सारे स्कूलों को दिल्ली से मॉनीटर करना मुमकिन नहीं है। चूंकि यह State subject है, इसलिए ज्यादातर स्टेट्स ने अपने कानून बनाए हैं, और वे उनको implement करती हैं, जिसके जरिए जो भी आपके concerns हैं, उनकी पूर्ति होती है और बच्चों की मुश्किलें कम होती हैं। अलबता, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिनकी तरफ आपका इशारा है, क्योंकि दबाव उन्हीं पर रहता है, वहां से इस तरह की शिकायतें एम्पीज भी करते हैं और पेरेंट्स तथा गार्जियन्स की तरफ से भी शिकायतें आती हैं, लेकिन इसके बारे में राज्य को ही ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर कुछ इस तरह की चीजें करनी होंगी, जिनकी वजह से इसमें सुधार हो सके। पिछले दिनों अलबता दिल्ली से connected एक केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन वे सिर्फ दिल्ली के लिए हैं। जो आपने जिक्र किया, उसमें वे सारी चीजें हैं, जैसे age की बात कही गई है, लेकिन वह भी सिर्फ pre-school and pre-primary के लिए वह directive हैं। इसमें pre-school से पहले 3 साल की age होनी चाहिए, pre-primary से पहले 4 साल की age होनी चाहिए, फिर neighborhood के लिए कहा गया है, उसी तरह background of the child, sibling, transfer case यानि जो बच्चे दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर आते हैं उनको priority मिल जाए, single parents यानि जो divorcee हैं उनके बच्चों का ध्यान रखा जाए, उनका कुछ management quota भी है, लेकिन जो Minority Institution हैं, उनको आज़ादी है कि वे अपने minority के बच्चों को ज्यादा प्वाइंट्स दे सकें। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार, राज्यों के मामले में ज्यादा interfere नहीं करती, इसलिए कि primary education and secondary education की जिम्मेदारी उनके ऊपर है।

श्री उदय प्रताप सिंह: सभापति जी, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा हूं। मंत्री जी ने इस प्रश्न से जिस प्रकार पल्ला झाड़ा है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इतने कमीशन बिठाए गए हैं, इस बात पर कि शिक्षा कैसे सुधारे और इन कमीशनों में एक भी ऐसा नहीं है, जिसने यह न कहा हो कि neighbourhood concept of education होना चाहिए। एक पड़ोस में एक अच्छा स्कूल हो, जिसमें सब बच्चे पढ़ें, हर धर्म के, हर जाति के बच्चे पढ़ें, उसमें gender का फर्क न हो, जाति का फर्क न हो, धर्म का फर्क न हो, बड़े-छोटे का फर्क न हो, गरीब-अमीर का फर्क न हो, गांव-शहर का फर्क न हो। अगर यह नहीं होगा, तो इस देश के अंदर शिक्षा का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मंत्री जी का इस तरह, इस सवाल से पल्ला झाड़ना ठीक नहीं है। मेरा सीधा-सीधा सवाल है, हम लोग समाजवादी हैं, हम कब से नारा देते रहे हैं कि - "शिक्षा होगी एक-समान, तभी बनेगा हिंदुस्तान।" मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो 'neighbourhood concept' for schools था, वह और कुछ नहीं था बल्कि शिक्षा को एक समान करने का सुझाव था। उन सुझावों को आपने डस्टबिन में डाल रखा है, उनको निकालिए। यदि उनको नहीं निकालते हैं तो इसके लिए कोई एक नया कानून बनाइए।

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लें।

श्री उदय प्रताप सिंह: मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इन समस्याओं पर यह कह देने से काम नहीं चलेगा। जब इस देश के अंदर लाखों बच्चों का भविष्य अधकारमय है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि आप यह कह दें कि यह समवर्ती सूची में है। मैं फिर कह रहा हूं कि पुरानी कमीशन की जो रिपोर्ट है और जो नई-नई सूचनाएं आ रही हैं, उनके आधार पर कोई एक ऐसी संपूर्ण योजना बनाएं, जिससे इस देश के भविष्य को सुधारा जा सके।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जिसकी तरफ आपका इशारा है, अभी ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं है। जहाँ तक neighbourhood का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को ही decide करना होगा कि वह क्या criteria स्कूल सिस्टम में लाती है और उस सिस्टम को, उस कानून को उसे ही implement करना चाहिए।

श्री प्रभा ठाकुर: धन्यवाद, सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ, वे परिचित भी होंगे कि आजकल जो निजी स्कूल हैं, ये शिक्षण संस्थान कम और व्यावसायिक संस्थान अधिक हो गए हैं। यह चिंता का विषय है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के कोई मानदंड हैं? केन्द्र सरकार के हैं तो वे क्या हैं? दूसरी बात यह है कि क्या विभिन्न राज्यों में उन मानदंडों का पूर्णता से पालन किया जा रहा है? उसकी मानिट्रिंग प्रणाली क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए न्यूनतम फीस पर उनको वहाँ प्रवेश मिले या वजीफा मिले, क्या उन मानदंडों में इसके लिए कोई प्रतिशत या कोई प्रावधान है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जहाँ तक मानदंडों का सवाल है, भारत सरकार राज्यों के लिए कोई मानदंड नहीं बनाती है। अभी ऐसा कोई मानदंड नहीं है। जहाँ तक हमारे school हैं, जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या तिब्बतियन स्कूल हैं, उनके लिए हमारे rules and regulations हैं और उनका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं ताकि उनमें किसी तरह की अनियमितता न हो।

श्री प्रभा ठाकुर: महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please put only one question. ...(Interruptions)... No, No. ...(Interruptions)... Please put one question only ...(Interruptions)...

श्री प्रभा ठाकुर: गरीब, कमजोर और आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, उनके मां-बाप चाहें तो भी उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वे उनकी फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं। उसकी कोई न्यूनतम राशि निर्धारित की जानी बहुत आवश्यक है। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस ली जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पर मंत्री महोदय क्या सोच रखे हैं, कृपया बताएं...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: You have put your question. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... You have put your question and got your answer ...(Interruptions)... Prof. Ram Deo Bhandary.

श्री राम देव भंडारी: महोदय, सरकार का जवाब है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। हम सभी इस बात को जानते हैं। मगर जो निजी स्कूल हैं, खास करके कुछ ऐसे स्कूल जिनमें अपने बच्चे को पढ़ाना उसके guardian शान की बात समझते हैं। दूसरों से गर्वपूर्वक बोलते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है। स्थिति यह है कि अगर ग्रामीण परिवेश का या किसी कमजोर वर्ग के अभिभावक का बच्चा उस स्कूल में पढ़ना चाहता है तो मेरिट रहते हुए भी उसका एडमिशन उस स्कूल में नहीं हो पाता है क्योंकि इसके लिए उसके मां-बाप को अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी स्टाईल में बात करनी आनी चाहिए। उदय जी कह रहे थे कि हमने सबको एक समान शिक्षा की कल्पना की है। हम कोशिश कर रहे हैं। महोदय, सरकार ने सेन्ट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय में काफी सुधार किया है। सेन्ट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय के जो रिजल्ट आ रहे हैं, किसी भी मामले में प्राइवेट स्कूल से कम नहीं आ रहे हैं।

महोदय, जो private schools हैं, उनमें सरकार काफी सुविधाएं देती है। मेरी जानकारी है, जो private schools बनते हैं, सरकार की ओर से उनके लिए जमीन मुहैया की जाती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ जवाबदेही है, बच्चों के भविष्य का मामला होता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है, क्या ऐसा संभव नहीं है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठक बुला करके ये जो शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों का निवारण करे? कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनमें ऐसे स्कूलों के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ गया है। मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनमें से बहुत आकर्षण बढ़ गया है वे सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, तो हमारा बच्चा आईएएस, आईपीएस बन जाएगा। वैसे हिन्दी स्कूल में पढ़कर, सेन्ट्रल स्कूल में पढ़कर...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लें।

प्रो० राम देव भंडारी: सेंट्रल स्कूल में पढ़कर भी वे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं।... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लें।

प्रो० राम देव भंडारी: सरकार यह बताए कि राज्य सरकारों से वार्ता करके, विचार करके इस संबंध में क्या कोई समाधान निकालने जा रही है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, दिल्ली के संदर्भ में अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसके हिसाब से जो 15 फीसदी economically weaker sections के लोग हैं, उनके लिए सीट्स उन्होंने रिजर्व की हैं। इसी तरह के जो कानून हैं, जो स्टेट्स के अन्दर भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती हैं और बना करके, स्कूल वालों से बात करके, उनको इम्प्लिमेंट कर सकती हैं। जहां तक सवाल पैदा होता है और मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे मुल्क में तकरीबन डेढ़ लाख स्कूल हैं और तकरीबन ग्यारह लाख middle schools या जिसको... (व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, समवर्ती सूची का मतलब यह नहीं कि... (व्यवधान)...

श्री सभापति: उदय प्रताप जी, आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: तो इसके लिए स्टेट को ही करना पड़ेगा।... (व्यवधान)...

श्री सभापति: उदय जी, आप जवाब सुन लें।... (व्यवधान).... आप जवाब सुन लें।... (व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह: समवर्ती सूची का मतलब यह होता है कि आपको यह जानने का अधिकार है कि ठीक हो रहा है या नहीं।

श्री सभापति: उदय प्रताप जी, आप जवाब सुन लें।... (व्यवधान).... प्लीज... प्लीज... (व्यवधान)...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, यह state subject है और स्टेट इस पर फैसला कर सकती है। हम लोगों से जो मदद होगी, वह हम लोग कर सकते हैं और उसके लिए हम तैयार हैं।... (व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, ये बार-बार कह रहे हैं कि state subject है, लेकिन आपको जानने का अधिकार है कि स्टेट में क्या हो रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं।... (व्यवधान)...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: यह राज्य ही तो फैसला करेगा।... (व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए... (व्यवधान).... डा० कपिला वात्स्यायन, पृष्ठिए।

डा० कपिला वात्स्यायन: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह जो neighbourhood school की योजना थी, कोठारी कमीशन ने 1964 में इसकी बात की थी और क्या अभी हाल में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में यह मुद्दा फिर से उठाया गया है या नहीं? अगर नहीं उठाया है, तो क्यों नहीं उठाया गया है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, neighbourhood school का concept जो भी हो, अभी यह कंसिडरेशन में नहीं है। यह एक सोच है, यह डिस्कशन में ज़रूर आया है, लेकिन हिंदुस्तान में neighbourhood school के concept पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

सीपत ताप विद्युत संयंत्र से विद्युत

†*146. श्री श्रीगोपाल व्यास:

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के सीपत एनटीपीसी संयंत्र से राज्य को प्रथम चरण में 300 मेगावाट और दूसरे चरण में 200 मेगावाट विद्युत आपूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया गया था;

†Original notice of the question was received in Hindi.